

# Popular Front of India

G-78, 2<sup>nd</sup> Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025

website: [www.popularfrontindia.org](http://www.popularfrontindia.org) email: [popularfrontmail@gmail.com](mailto:popularfrontmail@gmail.com) Tel: 011- 29949902

---

## प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

5 अक्टूबर 2017

### पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने की जारी मुहिम की संगठन ने की निंदा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने कुछ मीडिया के द्वारा चलाई जा रही संगठन को बदनाम करने की मुहिम की कड़ी निंदा की और उन्हें चैलेंज करते हुए कहा कि वे अपने आरोप साबित करने के लिए साफ साफ सबूत पेश करें। मीडिया राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक रिपोर्ट का हवाला देती है, जिसमें लगभग हिंदुत्व संगठनों, विशेष रूप से आरएसएस के द्वारा तैयार किये गए झूटे प्रोपगंडे को ही एक बार फिर से दोहराया गया है। एनआईए के हवाले से मीडिया ने जिन मामलों की लिस्ट बयान की है वे बिल्कुल ही बेवज़न हैं और संगठन के तौर पर पॉपुलर फ्रंट का उनसे कोई संबंध नहीं है। बैठक ने इस दुष्ट प्रोपगंडे के खिलाफ कानूनी तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया है।

एक दूसरे प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने एनआईए की रिपोर्ट पर अपनी चिंता और गुस्से का इज़हार करते हुए एजेंसी से देश को अपनी निष्पक्षता व गैर जानिबदारी का यकीन दिलाने की बात कही है। पहले ही यह देखा गया है कि एनआईए मालेगांव, अजमेर, समझौता और मक्का मस्जिद आदि जैसे कई एक आतंकवाद से जुड़े मामलों में, जिनमें हिंदुत्व समूह लिप्त पाए गए हैं, नरमी से काम ले रही है। उनमें से अधिकतर मामलों में आरोपी पाए गए लोगों की जमानत की याचिका पर एनआईए ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं वरिष्ठ सरकारी वकील ने खुद यह आरोप लगाया है कि कोर्ट के सामने नरमी बरतने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। यह बात भी शक से खाली नहीं कि एनआईए विशेष मामलों की जाँच करने के बजाय अपने दायरे से बाहर जा रही है और खास तौर से मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार एजेंसी हिंदुत्व समूहों के राजनीतिक एजेंडे को मज़बूती दे रही है। एनआईए के नाम से आई हालिया रिपोर्टों ने एजेंसी की साख को और भी नीचे गिरा दिया है।

बैठक ने यह विचार भी व्यक्त किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का केंद्र सरकार का निर्णय मानवता के खिलाफ है। यह मौलिक मानवाधिकार और शरणार्थियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह फैसला अत्याचार और हिंसा से बचकर भागने वाले लोगों को शरण देने की हमरी लम्बी परम्परा के भी खिलाफ है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार

40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा के लिए खतरा समझती है, जो म्यांमार सरकार के रवैये का समर्थन करने जैसी बात है। बैठक ने सभी संगठनों और मानवाधिकार समूहों से देश में मौजूद बेसहारा रोहिंग्या शरणार्थियों को हर संभव मदद देने और सरकार पर अपनी पॉलीसी में बदलाव लाने के लिए दबाव डालने की अपील की।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों, ज़ोन के अध्यक्षों और एनईसी के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

शफीकुर्रहमान  
सेक्रेटरी, जनसंपर्क  
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली